एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण शुल्क

पंजीकरण शुल्क; पंजीकरण, नवीनीकरण, किसी अन्य संशोधन आदि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के अनुसार कुल बिक्री (टर्नओवर) पर आधारित है।

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क
I	<u>सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के नए पंजीकरण के लिए शुल्क:</u> (ए) कुल बिक्री (टर्नओवर) 100 लाख रुपये तक (बी) 100 लाख रुपये से अधिक की कुल बिक्री (टर्नओवर)	(ए) कुल बिक्री (टर्नओवर) 100 लाख रुपये तक:- 1) सूक्ष्म उद्यमों के लिए : रुपये 3000/- 2) लघु उद्यमों के लिए : रुपये 5000/- (बी) 100 लाख रुपये से अधिक की कुल बिक्री (टर्नओवर):- 1) सूक्ष्म उद्यमों के लिए : रुपये 3000/- प्लस रुपये 1500/- प्रत्येक 100 लाख के अतिरिक्त कुल बिक्री (टर्नओवर) के लिए 2) लघु उद्यमों के लिए : रुपये 5000/- प्लस रुपये 2000/- प्रत्येक 100 लाख के अतिरिक्त कुल बिक्री (टर्नओवर) के लिए (सभी श्रेणियाँ के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा रु. 1 लाख होगी) (कर यथा लागू)
II	(ए) भंडार में संशोधन जारी करने के लिए शुल्क (गुणात्मक और मात्रा); मौद्रिक सीमा में परिवर्तन या प्रमाणपत्र में कोई अन्य संशोधन जारी करने के लिए शुल्क। (बी) एसपीआरएस के नवीनीकरण के पंजीकरण के लिए शुल्क (प्रत्येक दो वर्ष) (सी) नवीनीकरण और संशोधन एक साथ लागू होने पर शुल्क	क्रमशः सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऊपर I में प्रस्तावित शुल्क का 50% (50000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ) (कर यथा लागू)

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पंजीकरण शुल्क पर 20% छूट के हकदार होंगे (तकनीकी निरीक्षण के लिए शुल्क वही रहेगा)
- नवीनीकरण पर नामांकन प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद एक महीने की छूट अवधि नवीनीकरण मामलों में लागू शुल्क के साथ उपलब्ध है। अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन पंजीकरण की समाप्ति से दो साल पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करने पर, नए पंजीकरण में लागू शुल्क लिया जाएगा।
- उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पंजीकरण शुल्क में निरीक्षण एजेंसी द्वारा लगाए गए निरीक्षण शुल्क शामिल नहीं हैं। निरीक्षण एजेंसी द्वारा तय किए गए ऐसे शुल्क इकाई द्वारा वहन किए जाते हैं।